The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 726।

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2013/चैत्र 5, 1935

No. 7261

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2013/CHAITRA 5, 1935

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013

का.आ. 834(अ). केन्द्रीय सरकार ने, विभिन्न स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन या विनिर्माण में नीचे सारणी में उपदर्शित पदार्थों के यथासंभव उपयोग के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए और स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थ में अयुक्त दुर्व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संधि; 1988 के उपबंधों को भी कार्यान्वित करने के लिए उनको नियंत्रित पदार्थ के रूप में घोषित करने का विनिश्चिय किया है:

अत: अब, केंद्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (viiiष) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए नीचे सारणी में उपदर्शित पदार्थों को नियंत्रित पदार्थ के रूप में घोषित करती है, अर्थात् :-

सारणी

पदार्थ का वर्णन क्र.सं.

- इरगोमेटाइन और उसके लवण 1.
- इरगोटेमाइन और उसके लवण 2.
- आइसोसेफ्रोल 3.
- लेसर्जिक अम्ल और उसके लवण 4.
- 3, 4-मिथाइलिनेडिआक्सीफिनाइल-2-प्रोपेनोन 5.
- मिथाइल एथिल कीटोन
- 7. नोर्फेड्राइन (फिनाइलप्रोपेनोलामिन), उसके लवण और उसकी निर्मितयां
- 8. 1-फिनाइल-2-प्रोपेनोन
- फिनाइलएसिटिक अम्ल और उसके लवण 9.
- पिपरोनाल 10.
- पोटैशियम परमैगनेट 11.
- सेफ्रोल और कोई आवश्यक तेल जिसमें 4 % या अधिक सेफ्रोल हो
- एफेड़ीन की निर्मितियां 13.
- स्युडोफिड़ीन की निर्मितियां 14.

[फा. सं. एन-11012/3/2010-एनसी-II] सत्य नारायण दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi the 26th March, 2013

S.O. 834(E).—Whereas, the Central Government, having regard to the available information as to the possible use of substances mentioned in the Table below in the production or manufacture of various narcotic drugs and psychotropic substances, and also to implement the provisions of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988, decided to declare them as controlled substances;

Now, therefore, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (viid) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), hereby declares the substances mentioned in the Table below as controlled substance for the purposes of the said clause, namely :

TABLE

Sl. No. Description of substance

- 1 Ergometrine and its salts
- Ergotamine and its salts 2.
- 3. Isosafrole
- Lysergic acid and its salts
- 3, 4-methylenedioxyphenyl-2-propanone
- Methyl ethyl ketone
- 7. Norephedrine (Phenylpropanolamine), its salts and preparations thereof
- 1--phenyl-2 propanone
- 9. Phenylacetic acid and its salts
- 10. Piperonal
- 11. Potassium permanganate
- 12. Safrole and any essential oil containing 4% or more safrole
- 13. Preparations of Ephedrine
- Preparations of Pseudoephedrine 14.

[F. No. N-11012/3/2010-NC-III SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

1263 GI/2013